रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2014/कार्तिक 19, 1936
No. 573]	EW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2014/KARTIKA 19, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2014

सा. का. नि. 784(अ).—केन्द्रीय सरकार, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) की धारा 38 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोनस संदाय नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बोनस संदाय (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बोनस संदाय नियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात कहा गया है) में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

'5. वार्षिक विवरणी – (1) प्रत्येक नियोक्ता पूर्ववती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के बारे में सूचना देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वेबपॉर्टल पर प्ररूप घ में प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अथवा उससे पूर्व वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा:

परन्तु यह कि वार्षिक विवरणी अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर फाइल की जाएगी।

(2) प्रत्येक नियोक्ता पूर्ववती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के बारे में सूचना देते हुए प्ररूप घ में प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अथवा उससे पूर्व निरीक्षक को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यह कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक लेखा, बही–खातों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा रखेगा यदि वे, यथास्थिति, मैनुअल रूप में अथवा इलैक्ट्रॉनिक रुप में रखे गए हों।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, "इलैक्ट्रॉनिक रूप" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खण्ड (द) में है।'

3. मूल नियमों में, फार्म घ के लिए, निम्नलिखित फार्म प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात:-

"फार्म घ

[नियम 5(1) देखिए]

एकीकृत वार्षिक विवरणी फार्म

क. सामान्य भाग:

(क) स्थापना का नाम:

स्थापना का पता मकान संख्या/फ्लैट संख्या गली/प्लॉट संख्या

कस्बा जिला राज्य पिन कोड

(ख) नियोक्ता का नाम

नियोक्ता का पता मकान संख्या/फ्लैट संख्या गली प्लॉट संख्या/

कस्बा जिला राज्य पिन कोड

ई–मेल आईडी दूरभाष सं. मोबाइल सं.

(ग) प्रबंधक अथवा स्थापन के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम

पता मकान संख्या/फ्लैट संख्या गली प्लॉट संख्या/

कस्बा जिला राज्य पिन कोड

ई–मेल आईडी दूरभाष सं. मोबाइल सं.

ख. नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिनियमों के अंतर्गत नियोक्ता की रजिस्ट्रीकरण / अनुज्ञप्ति संख्या:

क्र.सं. (1)	नाम (2)	पंजीकरण (3)		यदि हां (रजिस्ट्रीकरण संख्या) (4)
01	भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996			
02	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970			
03	अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996			
04	कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनिय, 1952			
05.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम**, 1948.**			
06.	खान अधिनियम**, 1952.** कोयला खान विनियम**, 1957** के विनियम **3** अथवा लौह धातु खान विनियम**, 1961** के विनियम **3** के अधीन खोलने का नोटिस			
07.	कारखाना अधिनियम**, 1948.**			

08.	मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, **1961.**			
09.	दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (राज्य अधिनियम)			
10.	तत्समय प्रवृत्त अन्य कोई कानून			

ग. प्रधान नियोक्ता, ठेकेदार एवं ठेका श्रमिकों का विवरण:

01.	ठेकेदार की स्थापना के मामले में प्रधान नियोक्ता का नाम	
02.	स्थापना के प्रारम्भ होने की तारीख	
03.	वर्ष के दौरान स्थापना में नियुक्त ठेकेदारों की संख्या	
04.	वर्ष के दौरान ठेका श्रमिकों द्वारा कार्य किए गए दिवसों की कुल संख्या	
05.	वर्ष के दौरान ठेका श्रमिकों द्वारा कार्य किए गए कार्य दिवसों की कुल संख्या	
06.	प्रबंधक अभिकर्ता का नाम (खानों के मामले में)	
07.	**पता** मकान संख्या/फ्लैट सं. ____ गली/प्लॉट सं. ____ कस्बा ____ जिला ____ राज्य ____ पिन कोड ____ ई-मेल आईडी ____ दूरभाष सं. ____ मोबाइल सं. ____	

घ. कार्य घण्टे एवं सप्ताह के दिन:

01.	वर्ष के दौरान कार्य किए गए दिनों की संख्या	
02.	वर्ष के दौरान कार्य किए गए श्रम दिनों की संख्या	
03.	कार्य के दैनिक घण्टे	
04.	साप्ताहिक अवकाश के दिन	

ङ. वर्ष के दौरान किसी दिन नियोजित सर्वाधिक व्यक्तियों की संख्या:

क्र.सं.	पुरुष	महिलाएं	किशोर (14 से 18 वर्ष की आयु के)	बच्चे (14 वर्ष से कम आयु के)	कुल

च. वेतन दरें (श्रेणी वार):

श्रेणी	वेतन की दरें	कामगारों की संख्या							
		नियमित				ठेका			
		पुरुष	महिलाएं	बच्चे	किशोर	पुरुष	महिलाएं	बच्चे	किशोर
अति कुशल									
कुशल									
अर्ध-कुशल									
अकुशल									

छ. (क) भुगतानों का विवरण:

कुल भुगतान किया गया वेतन		कटौतियां			भुगतान किया गया शुद्ध वेतन	
नकद	अन्य प्रकार	अर्थदण्ड	नुकसान अथवा क्षति के कारण कटौतियां	अन्य	नकद	वस्तु के रूप में

(ख) ऐसे कामगारों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान वेतन सहित अवकाश स्वीकृत किया गया:

क्र.सं.	वर्ष के दौरान	कामगारों की संख्या	वेतन सहित अवकाश दिया गया

ज. सांविधिक योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं का विवरण:

क्र.सं.	उपलब्ध कराई गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति	सांविधिक (कानून विनिर्दिष्ट करें)

झ. बोनस भुगतान द्वारा लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बोनस के रूप में संदेय कुल राशि	निपटान, यदि कोई किया गया हो	घोषित बोनस का प्रतिशत	वास्तव में भुगतान की गई बोनस की कुल राशि	तारीख जिसको भुगतान किया गया	क्या बोनस का संदाय सभी कर्मचारियों को किया गया है, यदि नहीं, तो संदाय न करने के कारण	टिप्पणियां

घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना सत्य एवं सही है तथा मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने, मेरी स्थापना पर लागू श्रम कानूनों के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है।

स्थान ________ तारीख ________ यहां हस्ताक्षर करें ________ "

[**फा. सं. जैड**-16016/1/2014-**डब्ल्यूबी**]

पी. पी. मित्रा, प्रधान श्रम एवं रोजगार सलाहकार

टिप्पणी : भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में मूल नियम सां.का.नि. संख्या 2367, तारीख 6 सितम्बर, 1975 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात का.आ. संख्या 251, तारीख 7 जनवरी, 1984 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2014

G.S.R. 784(E).—In exercise of the powers conferred under section 38 of the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Payment of Bonus Rules, 1975, namely:—

1. **Short title and commencement**.--- (1) These rules may be called the Payment of Bonus (Amendment) Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Bonus Rules, 1975 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

   '5. Annual Returns. – (1)Every employer shall on or before the 1st day of February in each year upload annual returns in the Form D on the web portal of the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:—

   Provided that the annual returns shall be filed within the time limit specified in section 19 of the Act.

   (2) Every employer on or before the 1st day of February in each year may file annual returns in the Form D to the Inspector giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:

   Provided that during inspection, the inspector shall require the production of the accounts, books, register and other documents if the same are maintained in manual form or in electronic form, as the case may be.

   Explanation.—For the purposes of this sub-rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

3. In the principal rules, for Form D, the following Form shall be substituted, namely.—

"Form D

[See rule 5(1)]

Unified Annual Return Form

A. General Part:

(a) Name of the establishment

address of the establishment. House No./Flat No. Street/Plot No. _____ Town District State Pin Code

(b) Name of the employer

address of the employer. House No./Flat No. Street/Plot No. _____ Town District State Pin Code

E-mail ID Telephone Number Mobile Number

(c) Name of the manager or person responsible for supervision and control of establishment

Address House No./Flat No. Street/Plot No. Town District State Pin Code

E-mail ID Telephone Number Mobile Number

B. Employer's Registration/ License number under the Acts mentioned in column (2) of the Table below:

S.No (1)	Name (2)	Registration (3)		If yes (Registration No.) (4)
01.	The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1996.			
02.	The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.			
03.	The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979.			
04.	The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.			
05.	The Employees' State Insurance Act, 1948.			
06.	The Mines Act, 1952. Notice of opening under Regulation 3 of the Coal Mines Regulation, 1957 or Regulation 3 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961.			
07.	The Factories Act, 1948.			
08.	The Motor Transport Workers Act, 1961.			
09.	The Shops & Establishments Act (State Act).			
10.	Any other Law for the time being in force			

C. Details of Principal Employer, Contractor and Contract Labour:

01.	Name of the principal employer in the case of a contractor's establishment	
02.	Date of commencement of the establishment	
03.	Number of Contractors engaged in the establishment during the year.	
04.	Total number of days worked by Contract Labour during the year	
05.	Total number of man-days worked by Contract Labour during the year	

06.	Name of the Manager Agent (in case of mines)	
07.	**Address** House No./Flat No. Street/Plot No. Town District State Pin Code E-mail ID Telephone Number Mobile. No.	

D. Working hours and week day:

01.	Number of days worked during the year	
02.	Number of mandays worked during the year	
03.	Daily hours of work	
04.	Day of weekly holiday	

E. Maximum number of persons employed in any day during the year:

Sl. No.	Males	Females	Adolescents (between the age of 14 to 18 years.)	Children (below 14 years of age.)	Total

F. Wage rates (Category Wise):

Category	Rates of Wages	No. of workers							
		Regular				Contract			
		male	female	children	Adolescent	male	female	children	Adolescent
Highly Skilled									
Skilled									
Semi-skilled									
Un-skilled									

G. (a) Details of Payments:

Gross wages paid		Deductions			Net wages paid	
In cash	In kind	Fines	Deductions for damage or loss	Others	In cash	In kind

(b) Number of workers who were granted leave with wages during the year:

Sl. No.	During the year	Number of workers	Granted leave with wages

H. Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes:

Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)

I. Number of employees benefited by bonus payments:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total amount payable as bonus	Settlement, if any, reached	Percentage of bonus declared	Total amount of bonus actually paid	Date on which payment made	Whether bonus has been paid to all the employees, if not, reasons for non-payment	Remarks

DECLARATION

It is to certify that the above information is true and correct and also I certify that I have complied with the all provisions of Labour Laws applicable to my establishment.

PLACE [ ] DATE [ ] SIGN. HERE [ ] ."

[F.No.Z-16016/1/2014-WB]

P. P. MITRA, Principal Labour and Employment Adviser

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. No. 2367, dated the 6th September, 1975 and subsequently amended by S.O. No.251, dated the 7th January, 1984.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.